

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

दावा 37/2013

निर्णय

दिनांक 26.03.2021

रामनारायण बनाम नानूराम व अन्य

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित। वादीगण मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादीअधिवक्ता को शाम 5:30 बजे तक बार-बार आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली आदेश दिनांक 17.03.2020 की पालनार्थ वास्ते संशोधित उनवान पेश किए जाने के नियत है, जिसके क्रम में निरन्तर अवसर दिए जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा आदेश की पालनार्थ संशोधित उनवान पेश नहीं किया गया, ना ही न्यायहित में सशर्त (कोस्ट पर) स्वीकार किए गए उक्त प्रा.पत्र की पालनार्थ क्रियान्विती प्रस्तुत की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी अब वाद के संदर्भ में ईच्छुक नहीं है। जिससे वादी आज नियत तारीख पेशी पर भी अनुपस्थित है। अतः वाद वादी आदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

